रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 30] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 9, 1973/माघ 20, 1894
No. 30] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 9, 1973/MAGHA 20, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th February 1973

G.S.R. 55(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Central Sales Tax (Amendment) Act, 1972 (61 of 1972), the Central Government hereby appoints the 1st day of April, 1973 as the date on which the provisions of the said Act, other than those mentioned in the said sub section, shall come into force.

[No F. 28/30/72-ST-I]

वित्त मन्त्रालय
(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 फरवरी, 1973

सा०का०नि० 55(अ):—केन्द्रीय विक्रय-कर (संशोधन) अधिनियम, 1972 (1972 का 61) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार अप्रैल 1973 के प्रथम दिन को उस तारीख के रूप में एतद्द्वारा नियुक्त करती है जिसको उक्त अधिनियम के उपबन्ध, उक्त उपधारा में उल्लिखित को छोड़कर, प्रवृत्त होंगे।

[सं० 8/30/72-वि० क०-I]

G.S.R. 56(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) section 13 of the Central Sales Tax Act, 1956 (74 of 1956) read with sub-section (5) of that section, the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Sales Tax (Registration and Turnover) Rules, 1957, namely:—

1. (i) These rules may be called the Central Sales Tax (Registration and Turnover) (Amendment) Rules, 1973.

(ii) They shall come into force on the 1st day of April, 1973.

2. In the Central Sales Tax (Registration and Turnover) Rules, 1957, (hereinafter referred to as the said rules), in rule 2,—

(a) in clause (cc), for the words, brackets and figures "sub-section (3) of section 9", the words, brackets and figures "sub-section (2) of section 9", shall be substituted.

(b) clause (dd) shall be omitted

3. In rule 12 of the said rules,—

(a) in sub-rule (1),

(i) for the first proviso, the following proviso shall be substituted, namely:—

"Provided that Form 'C' in force before the commencement of the Central Sales Tax (Registration and Turnover) (Amendment) Rules, 1973 may also be used upto the 31st December, 1973 with suitable modifications.";

(ii) in the second proviso, for the word "year", the words "financial year" shall be substituted;

(b) after sub-rule (4), the following sub-rules shall be inserted, namely:—

"(5) The declaration referred to in sub-section (1) of section 6A shall be in Form 'F'.

(6) Form 'C' referred to in sub-rule (1), or as the case may be Form 'F' referred to in sub-rule (5), shall be the one obtained by the purchasing dealer or, as the case may be, the transferee in the State in which the goods covered by such form are delivered.

(7) The declaration in Form 'C' or Form 'F' or the certificate in Form 'E I' or Form 'E II' shall be furnished to the prescribed authority upto the time of assessment by the first assessing authority;

Provided that if the prescribed authority is satisfied that the person concerned was prevented by sufficient cause from furnishing such declaration or certificate within the aforesaid time, that authority may allow such declaration or certificate to be furnished within such further time as that authority may permit.

(8) (a) The person referred to in clause (a) of sub-rule (1) of rule 3 shall alone be competent to sign the declaration in Form 'C' or Form 'F' or the certificate in Form 'E I' or Form 'E II':

Provided that where a proprietor of the business or a partner in the case of a firm or the karta or manager of a Hindu undivided family is not managing such business, firm or family in the place in which the goods covered by Form 'C' or Form 'F' are delivered, such proprietor, partner, karta or manager, as the case may be, may authorise in writing any other person to sign the said Form 'C' or Form 'F'.

(b) Such person shall signify on such declaration or certificate his status and shall make a verification in the manner provided in such declaration or certificate.

(9) The provisions of sub-rule (2) and sub-rule (3) shall, with necessary modifications, apply to the declaration in Form 'F' or the certificate in Form 'E I' or Form 'E II' ".

4 After rule 13 of the said rules, the following rule shall be inserted namely —

14 If any person commits a breach of any of these rules, he shall be punishable with fine which may extend to five hundred rupees and when the offence is a continuing offence with a daily fine which may extend to fifty rupees for every day during which the offence continues

5 In Form C appended to the said rules for the brackets and words (Signature and status of the person signing the declaration)' wherever they occur, the following shall be substituted, namely —

The above statements are true to the best of my knowledge and belief

(Signature)

(Name of the person signing the declaration)

(Status of the person signing the declaration in relation to the dealer)

6 In Form 'E—I' appended to the said rules —

(a) for the words, figures and brackets 'see rule 12(2)', wherever they occur, the words, figures and brackets 'see rule 12(4)' shall be substituted

(b) for the portion commencing with the word 'signature and ending with the words and bracket "officer-in-charge of the Government business) " the following shall be substituted namely —

The above statements are true to the best of my knowledge and belief

(Signature)

(Name of the person signing the certificate)

(Place)

(Status of the person signing the certificate in relation to the dealer)

7 In Form 'E—II' appended to the said rules —

(a) for the words, figures and brackets 'see rule 12(2)', wherever they occur, the words, figures and brackets "see rule 12(4)" shall be substituted,

(b) for the portion commencing with the word 'signature' and ending with the words and bracket "officer-in-charge of the Government business) ' the following shall be substituted, namely —

The above statements are true to the best of my knowledge and belief

(Signature)

(Name of the person signing the certificate)

(Place)

(Status of the person signing the certificate in relation to the dealer)

(c) in each of the portion relating to the original', "duplicate and "counterfoil', the following shall be inserted at the end namely —

Explanation.—In this Form transferor means any person who effects a sale in the mode referred to in clause (b) of section 3'

3. After Form 'E—II' appended to the said rules, the following Form shall be inserted, namely:—

"Counterfoil

THE CENTRAL SALES TAX

(Registration and Turnover)

Rules, 1957

Form F

(Form of declaration to be issued by the transferee)

[*See* rule 12 (5)]

Serial No.....

Name of the issuing State.....

Office of issue.....

Date of issue.....

Name and address of the person to whom issued along with his Registration Certificate No.....

.....

Date from which registration is valid

SEAL OF issuing authority.

To

.....(Transferor) Registration Certificate No. of the Transferor.....

Certified that the goods transferred to me/us as per details below have been received and duly accounted for.

Description of the goods sent.....

Quantity or weight.....

Value of the goods

Number and date of invoice

Name of Railway, Steamer or Ferry Station or Air Port or post office or Road Transport Company's Office from where the goods were despatched.....

No. and date of Railway Receipt or Postal Receipt or Goods Receipt with trip sheet of lorry or any other document indicating the means of transport.....

Date on which delivery was taken by the transferee.....

The above statements are true to the best of my knowledge and belief.

Signature.....

(Name of the person signing the declaration)

*(Status of the person signing the declaration in relation to the transferee)

*(Status of the person signing the declaration in relation to the transferor)

Date:.....

*Strike out whichever is not applicable.

(Note:—To be retained by the transferee)

Duplicate

THE CENTRAL SALES TAX

(Registration and Turnover

Rules, 1957

Form F

(Form of declaration to be issued by the transferee)

[*See* rule 12 (5)]

Serial No.....

Name of the issuing State.....

Office of issue

Date of issue.....

Name and address of the person to whom issued along with his Registration Certificate No.....

..

Date from which registration is valid.....

SEAL OF issuing authority.

To

.....(Transferor) Registration Certificate No. of the Transferor..

Certified that the goods transferred to me/us as per details below have been received and duly accounted for.

Description of the goods sent.....

Quantity or weight.....

Value of the goods

Number and date of invoice

Name of Railway, Steamer or Ferry Station or Air Port or Post Office or Road Transport Company's Office from where the goods were despatched.....

No. and date of Railway Receipt or Postal Receipt or Goods Receipt with trip sheet of lorry or any other document indicating the means of transport.....

Date on which delivery was taken by the transferee.....

The above statements are true to the best of my knowledge and belief.

Signature.....

(Name of the person signing the declaration)

*(Status of the person signing the declaration in relation to the transferee)

*(Status of the person signing the declaration in relation to the transferor)

Date:.....

*Strike out whichever is not applicable.

NOTE.—To be retained by the transferor)

Original

THE CENTRAL SALES TAX

(Registration and Turnover)

Rules, 1957

Form F

(Form of declaration to be issued by the transferee)

[*See* rule 12 (5)]

Serial No.....

Name of the issuing State.....

Office of issue

Date of issue.....

Name and address of the person to whom issued along with his Registration Certificate No.....

.....

Date from which registration is valid.....

SEAL OF issuing authority.

To

.....(Transferor)

Registration Certificate No. of the Transferor.....

Certified that the goods transferred to me/us as per details below have been received and duly accounted for.

Description of the goods sent.....

Quantity or weight.....

Value of the goods

Number and date of invoice

Name of Railway, Steamer or Ferry Station or Air Port or Post Office or Road Transport Company's Office from where the goods were despatched.....

No. and date of Railway Receipt or Postal Receipt or Goods Receipt with trip sheet of lorry or any other document indicating the means of transport.....

Date on which delivery was taken by the transferee.....

The above statements are true to the best of my knowledge and belief.

Signature.....

(Name of the person signing the declaration)

*(Status of the person signing the declaration in relation to the transferee)

*(Status of the person signing the declaration in relation to the transferor)

Date:.....

*Strike out whichever is not applicable.

[NOTE:—To be furnished to the assessing authority in accordance with the rules framed under section 13(4)(e).]

[No. 28/30/72-ST-II.]

O. P. MEHRA, Under Secy.

सा० का० नि० 56(अ) केन्द्रीय विक्रय-कर अधिनियम, 1956 (1956 का 74) की धारा 13 की उपधारा (5) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय विक्रय-कर (रजिस्ट्रीकरण और कुल बिक्री) नियम 1957 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम तद्द्वारा बनाती है, अर्थात :—

1. (I) इन नियमों का नाम केन्द्रीय विक्रय-कर (रजिस्ट्रीकरण और कुल बिक्री) (संशोधन) नियम, 1973 है ।

(II) ये पहली अप्रैल, 1973 को प्रवृत्त होंगे ।

2. केन्द्रीय विक्रय-कर (रजिस्ट्रीकरण और कुल बिक्री) नियम, 1957 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) के नियम 2 में,—

(क) खण्ड (गग) में "धारा 9 की उपधारा (3)" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर "धारा 9 की उपधारा (2)" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे ।

(ख) खण्ड (घघ) लुप्त कर दिया जाएगा ।

3 उक्त नियमों के नियम 12 में,—

(क) उप-नियम (1) में,—

(I) प्रथम परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित रखा जायगा, अर्थात:—

"परन्तु केन्द्रीय विक्रय-कर (रजिस्ट्रीकरण और कुल बिक्री) (संशोधन) नियम 1973 के प्रारम्भ से पूर्व प्रवृत्त प्ररूप 'ग' भी उपयुक्त उपान्तरणों सहित 31 दिसम्बर, 1973 तक प्रयुक्त किया जा सकेगा ।

(II) द्वितीय परन्तुक में "वर्ष" शब्द के स्थान पर "वित्तीय वर्ष" शब्द रखे जाएंगे ।

(ख) उप-नियम (4) के पश्चात निम्नलिखित उप-नियम अन्त: स्थापित किए जाएंगे, अर्थात:—

"(5) धारा 6क की उपधारा (1) में निर्दिष्ट घोषणा प्ररूप 'घ' में होगी ।

(6) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट प्ररूप 'ग' या, यथास्थिति, उपनियम (5) में निर्दिष्ट प्ररूप 'घ' के प्ररूप होंगे जो, क्रय व्यवहारी या, यथास्थिति, जिस राज्य में ऐसे प्ररूप के अन्तर्गत आया हुआ माल परिदत्त किया जाता है, अन्तरिती द्वारा प्राप्त किया गया हो ।

(7) प्ररूप 'ग' या 'प्ररूप 'घ' में घोषणा या प्ररूप 'ङ-1'

या प्ररूप 6 ङ० 'II' में प्रमाण-पत्र प्रथम निर्धारण प्राधिकारी द्वारा निर्धारण के समय तक विहित प्राधिकारी को दिया जाएगा ;

परन्तु यदि विहित प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि सम्बन्धित व्यक्ति पर्याप्त कारणों से ऐसी घोषणा या प्रमाण-पत्र पूर्वोक्त समय के भीतर देने में असमर्थ रहा तो वह प्राधिकारी ऐसी घोषणा या प्रमाण-पत्र ऐसे अतिरिक्त समय के भीतर जैसी वह अनुज्ञा दे, दिए जाने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा ।

8 (क) केवल नियम 3 के उप-नियम, (1) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट व्यक्ति ही प्ररूप 'ग' या प्ररूप 'घ' में घोषणा या प्ररूप 'ङ 1' या प्ररूप 'ङ II' में प्रमाण-पत्र पर हस्ताक्षर करने में सक्षम होगा :

परन्तु जहां कारबार का कोई स्वत्वधारी या किसी फर्म के मामले में कोई भागीदार या हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब का कर्ता या प्रबन्धक ऐसे कारबार, फर्म या कुटुम्ब का प्रबन्ध जिसमें प्ररूप 'ग' या प्ररूप 'घ' के अन्तर्गत आए माल के परिदत्त किये जाने वाले स्थान का प्रबन्ध नहीं कर रहा है तो ऐसा स्वत्वधारी, भागीदार, कर्ता या प्रबन्धक, यथास्थिति, उक्तप्ररूप 'घ' या प्ररूप 'ध' पर हस्ताक्षर करने के लिए लिखित रूप में किसी भी व्यक्ति को प्राधिकृत कर सकेगा ।

(ख) ऐसा व्यक्ति ऐसी घोषणा या प्रमाण-पत्र पर अपनी हैसियत लिखेगा और ऐसी घोषणा या प्रमाण-पत्र में उपबन्धित रीति से सत्यापन करेगा ।

(9) उप-नियम (2) और उप-नियम (3) के उपबन्ध, आवश्यक उपान्तरणों सहित प्ररूप 'घ' में घोषणा या प्ररूप 'ङ-1' या प्ररूप 'ङ-II' में प्रमाण-पत्र को लागू होंगे ।"

4. उक्त नियमों के नियम 13 के पश्चात, निम्नलिखित नियम अन्तःस्थापित किया जायगा अर्थात :—

"14. यदि कोई व्यक्ति इन नियमों में से किसी का उल्लंघन करता है तो वह जुर्माने से जो पांच-सौ रुपये तक हो सकता है और जब अपराध सतत् अपराध हो तो जैनिक जुर्माना जो ऐसे अपराध के सातत्य दौरान प्रति दिन के लिए पचास रुपये तक हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।"

5. उक्त नियमों से संलग्न प्ररूप 'ग' जहां कहीं भी "(घोषणा पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर और हैसियत)" कोष्ठक और शब्द आते हैं उनके स्थान पर निम्नलिखित रखा जायगा, अर्थात:—

"उपर्युक्त कथन मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है :—

(हस्ताक्षर)

(घोषणा पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का नाम)

(व्यवहारी के संबंध में घोषणा पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति की हैसियत)"।

6. उक्त नियमों से संलग्न प्ररुप 'ङ-I' में,--

(क) "नियम 12(2) देखें" शब्दों, अंकों और कोष्ठको, जहां कहीं भी आए हों के स्थान पर, "नियम 12(4)देखें" शब्द, अंक और कोष्ठक रखा जाएंगे।

(ख) "हस्ताक्षर" शब्द से प्रारंभ होने वाले और "सरकारी कार्य के लिए भार साधक अधिकारी)"

शब्दों पर समाप्त होने वाले अंश के स्थान पर निम्नलिखित रखा जायगा, अर्थात:-

"उपर्युक्त कथन मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है।"

(हस्ताक्षर)

(प्रमाण-पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का नाम)

(स्थान)

(व्यवहारी के संबंध में प्रमाण-पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति की हैसियत)"।

7. उक्त नियमों से संलग्न प्ररूप 'ङII' में, --

(क) "नियम 12(2) देखें" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों, जहां कहीं भी आए हों के स्थान पर, "नियम 12(4) देखें" शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे;

(ख) "हस्ताक्षर" शब्द से प्रारभ होने वाले और "सरकारी कार्य के लिए भारसाधक अधिकारी)"शब्दों पर समाप्त हो वाले अंश के स्थान पर निम्नलिखित रखा जायगा, अर्थात् :--

"उपर्युक्त कथन मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है।"

(हस्ताक्षर)

(प्रमाण-पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का नाम)

(स्थान)

(व्यवहारी के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति की हैसियत)"

(ग) "भूल", "दूसरी प्रति" और "प्रतिपर्ण" मे संबंधित प्रत्येक अंश में अंत में निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जायगा, अर्थात्:--

"स्पष्टीकरण:--इस प्ररुप में "अंतरक" से धारा 3 के खंड (ख) में निर्दिष्ट रीति मे विक्रय करने वाला व्यक्ति अभिप्रेत है।"

8. उक्त नियमों से संलग्न प्ररूप 'ङ-II' के पश्चात निम्नलिखित प्ररूप अंतस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

प्रतिपर्ण

केन्द्रीय विक्रय–कर (रजिस्ट्रीकरण और कुल बिक्री) नियम, 1957

प्ररूप च

(अंतरिती द्वारा जारी की जाने वाली घोषणा का प्ररूप)

[नियम 12(5) देखें]

क्रम संख्या.....

जारी करने वाले राज्य का नाम.....

जारी करने वाला कार्यालय.....

जारी करने की तारीख.....

जिस व्यक्ति को जारी किया गया है उसका नाम और पतारजिस्ट्रेशन प्रमाण–पत्र संख्या सहित रजिस्ट्रीकरण जिस तारीख से वैध है....

.....जारी करने वाले प्राधिकारी की मुद्रा

सेवा में

.....(अंतरक) अंतरक के रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र की स०....

प्रमाणित किया जाता है कि मुझे/हमे निम्नलिखित विवरण के अनुसार माल प्राप्त हो गया है और सम्भवतः उसका हिसाब हो गया है ।

भेजे गये माल का विवरण.....

मात्रा या वजन.....

माल की मूल्य.....

बीजक की संख्या और तारीख.....

जहां से माल भेजा गया था उस रेल, स्टीमर का फैरी-स्टेशन का एयर–पोर्ट का डाकघर या सडक परिवहन कंपनी कार्यालय का नाम.....

रेल रसीद या डाक रसीद या माल रसीद की संख्या और तारीख, जिस के साथ लारी ट्रिप शीट या कोई अन्य दस्तावेज जिससे परिवहन साधन उपदर्शित हो.....

अंतरिती द्वारा जिस तारीख को परिदान लिया गया.....

उपर्युक्त विवरण मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है ।

(हस्ताक्षर)

(घोषणा पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का नाम).....

*(अतरिती के संबंध मे घोषणा पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति की हैसियत).....

**(अंतरक के संबध में घोषणा पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति की हैसियत).....

तारीख :

*(टिप्पण : अंतरिती द्वारा रखे जाने के लिए)

**जो लागू न होता हो उसे काट दे ।"

दूसरी प्रति

केन्द्रीय विक्रय-कर (रजिस्ट्रीकरण और कुल बिक्री) नियम, 1957

प्ररूप ट

(अंतरिती द्वारा जारी की जाने वाली घोषणा का प्ररूप)

[नियम 12(5) देखें]

क्रम संख्या.....

जारी करने वाले राज्य का नाम.....

जारी करने वाला कार्यालय

जारी करने की तारीख.....

जिस व्यक्ति को जारी किया गया है उसका नाम और पता.....

रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र संख्या सहित.....

रजिस्ट्रीकरण जिस तारीख से वैध है.....जारी करने वाले प्राधिकारी की मुद्रा

सेवा में

.....(अंतरिक) अंतरक के रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र की सं०.....

प्रमाणित किया जाता है कि मुझे/हमें निम्नलिखित विवरण के अनुसार माल प्राप्त हो गया है और सम्यकतः उसका हिसाब हो गया है ।

भेजे गये माल का विवरण.....

मात्रा या वजन.....

माल का मूल्य.....

बीजक की संख्या और तारीख.....

जहां से माल भेजा गया था उस रेल, स्टीमर या फैरी-स्टेशन या एयर-पोर्ट या डाकघर या सड़क परिवहन कंपनी कार्यालय का नाम.....

रेल रसीद या डाक रसीद या माल रसीद की संख्या और तारीख, जिस के साथ लारी की ट्रिप शीट या कोई अन्य दस्तावेज जिससे परिवहन साधन उपदर्शित हो.....

अंतरिती द्वारा जिस तारीख को परिवहन लिया गया.....

उपर्युक्त विवरण मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है ।

(हस्ताक्षर)

(घोषणा पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का नाम).....

*(अंतरिती के संबंध में घोषणा पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति की हैसियत).....

**(अंतरक के संबंध में घोषणा पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति की हैसियत).....

तारीख :

*(टिप्पण : अंतरिती द्वारा रखे जाने के लिए)

**जो लागू न होता हो उसे काट दें ?"

मूल

केन्द्रीय विक्रय-कर (रजिस्ट्रीकरण और कुल बिक्री) नियम, 1957

प्ररूप च

(अंतरिती द्वारा जारी की जाने वाली घोषणा का प्ररूप)

[नियम 12(5) देखें]

क्रम संख्या.....

जारी करने वाले राज्य का नाम.....

जारी करने वाला कार्यालय

जारी करने की तारीख.....

जिस व्यक्ति को जारी किया गया है उसका नाम और पता.....

रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र संख्या सहित.....

रजिस्ट्रीकरण जिस तारीख से वैध है.....जारी करने वाले प्राधिकारी की मुद्रा

सेवा में

.....(अंतरक) अंतरक के रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र की सं०....

प्रमाणित किया जाता है कि मुझे/हमें निम्नलिखित विवरण के अनुसार माल प्राप्त हो गया है और सम्यकतः उसका हिसाब हो गया है ।

भेजे गये माल का विवरण.....

मात्रा वा वजन.....

माल का मूल्य.....

बीजक की संख्या और तारीख.....

जहां से माल भेजा गया था उस रेल, स्टीमर या फैरी-स्टेशन या एयर-पोर्ट या डाकघर या सड़क परिवहन कंपनी कार्यालय का नाम

रेल रसीद या डाक रसीद या माल रसीद की संख्या और तारीख, जिस के साथ लारी की ट्रिप शीट या कोई अन्य दस्तावेज जिससे परिवहन साधन उपदर्शित हो.....

अंतरिती द्वारा जिस तारीख को परिवहन लिया गया.....

उपर्युक्त विवरण मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है ।

(हस्ताक्षर)

(घोषणा पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का नाम).....

*(अंतरिती के संबंध में घोषणा पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति की हैसियत).....

*(अंतरक के संबंध में घोषणा पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति की हैसियत).....

तारीख :

*[टिप्पण : धारा 13(4) (ङ) के अधीन विरचित नियमों के अनुसार निर्धारण प्राधिकारी को दिया जाना है]

*जो लागू न होता हो उसे काट दें ।"

(ओ० पी० मेहरा),
अवर सचिव भारत सरकार

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973